भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1275
30 जुलाई, 2024 को उत्तर के लिए

किसानों को नौकाएं खरीदने के लिए सहायता

1275. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा दमन और दीव में मछुआरों को प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसवाई) के अंतर्गत ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस), इंजन, वायर रोप, लैंप, फ्रिज, जेनरेटर और अन्य बहुत सी सामग्री सहित नई नौकाएं खरीदने हेतु राजसहायता दी गई है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या

(ख) दमन और दीव में वर्ष 2018-19 के पश्चात राजसहायता बंद करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या नाव पर चढने-उतरने, तूफान और आग लगने की घटनाओं से होने वाले किसी नुकसान हेतु नाव के मालिक अथवा परिवार के सदस्यों को अनुदान दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसे अनुदान को बंद कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त सामग्रियों हेतु राजसहायता और अनुदान को फिर से शुरू करने संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क): मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार मछुआरों के कल्याण के साथ साथ मात्स्यिकी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) लागू कर रहा है। पीएमएमएसवाई में *अन्य बातों के साथ-साथ* मछुआरों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सुरक्षा किट और संचार उपकरणों के लिए सहायता प्रदान की जाती है। पीएमएमएसवाई के तहत सुरक्षा किट में मुख्य रूप से ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) , लाइफ जैकेट, लाइफबॉय, अन्य जीवनरक्षक उपकरण, एक रडार रिफ्लेक्टर, फ़र्स्ट ऐड बॉक्स, फ्लेयर्स का एक सेट, बैकअप बैटरी, खोज और बचाव बीकन आदि की आपूर्ति के लिए सहायता शामिल है । इसके अलावा, पारंपरिक मछुआरों को नाव (रीपलेसमेंट) और जाल प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है तथा उनकी निर्यात क्षमता में वृद्धि के लिए डीप सी फिशिंग वेसल्स के अधिग्रहण और मौजूदा फिशिंग वेसल्स को उपग्रेड करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है । पीएमएमएसवाई के तहत

संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा प्रस्तुत मात्स्यिकी विकास प्रस्तावों के आधार पर परियोजनाओं को मंजूरी दी जाती है और केंद्रीय निधि जारी की जाती है। पीएमएमएसवाई के तहत, 2020-21 के दौरान, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने दादरा नगर हवेली और दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेश द्वारा प्रस्तुत मात्स्यिकी विकास परियोजनाओं को कुल 6.31 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी है । स्वीकृत गतिविधियों में रियरिंग तालाबों का निर्माण, ग्रो आउट तालाब, सजावटी मत्स्यपालन पालन इकाइयाँ, कोल्ड स्टोरेज, समुद्री शैवाल (सी वीड) के लिए ब्रूड बैंक की स्थापना, फिश वैल्यू एडेड एंटरप्राईज़, परिवहन वाहन, मीठे पानी की जलीय कृषि आदि शामिल हैं।

(ख): सरकार ने 2018-19 के बाद केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन और दीव में सब्सिडी बंद नहीं की है।

(ग) और (घ): मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार, पीएमएमएसवाई के तहत, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) के माध्यम से समूह दुर्घटना बीमा योजना / ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम (जीएआईएस) को कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें बीमा प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है और केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है, जिसमें लाभार्थी से कोई योगदान अपेक्षित नहीं होता है । यह योजना सक्रिय है और प्रदान की गई बीमा कवरेज में (i) मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता के लिए 5,00,000 रु/-, (ii) स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए 2,50,000 रु/- और (iii) दुर्घटना की स्थिति में अस्पताल में भर्ती होने के खर्च के लिए 25,000/- रुपये की राशि शामिल है। एनएफडीबी ने सूचित किया है कि केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन और दीव के 7864 मछुआरे बीमा के अंतर्गत कवर किए गए हैं और आज तक जीएआईएस के तहत ऐसा कोई दावा अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ): प्रश्न नहीं उठता ।

***